

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 123]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 अप्रैल 2023—चैत्र 30, शक 1945

### चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

एफ-1-1-1-02-2023-1-पचपन

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2202-सत्रह-चिकित्सा-दो दिनांक 12 मई, 1988 को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा में भरती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

#### नियम

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 है।  
(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.-** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—  
(क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शासन या ऐसा अधिकारी जिसे इस सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति है;  
(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

- (ग) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश;
- (घ) "समिति" से अभिप्रेत है, चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति;
- (ङ) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश परिपत्र दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं 18 जुलाई 2019 तथा 22 नवम्बर 2019 में दिये गए निर्देशानुसार एवं इन नियमों में समय-समय पर किए गए संशोधन प्रावधानानुसार;
- (च) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, प्रतियोगी परीक्षा जो कि सेवा में भर्ती के लिए इन नियमों के नियम 11 के अधीन ली जाती है;
- (छ) "शासन" से अभिप्रेत है, चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन;
- (ज) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;-५
- (झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ.8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ञ) "निर्धारित संस्था" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश शासन के अधीन ऐसी संस्था से है जिसके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है;
- (ट) भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजनों, महिलाओं को आरक्षण से अभिप्रेत है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना अनुसार होगा;
- (ठ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ड) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा कोई जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ढ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति, मूलवंश या जनजाति समुदाय या ऐसी जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ण) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासकीय चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा।
3. विस्तार तथा लागू होना.— मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.
4. सेवा का गठन.— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—
- (एक) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अन्तर्गत अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किसी भी पद को मूलतः या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहें हो,
- (दो) वे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 2023. के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—

- (1) सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची—एक "अ", अनुसूची—एक "ब", अनुसूची—एक "स", अनुसूची—एक "द", अनुसूची—एक "ई" में अन्तर्विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु शासन सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय—समय पर या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगी।

- (2) सेवा का कोई भी सदस्य सेवा की संरचना में किसी भी परिवर्तन के परिणामस्वरूप या शासन द्वारा संवर्ग में किसी रिक्त पद को भरा नहीं जाने या उसे प्रास्थगित रखने की दशा में प्रतिकर का पात्र नहीं होगा।

6. भर्ती का तरीका.— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) सीधी भर्ती द्वारा, साक्षात्कार या प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या दोनों द्वारा,

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा

- (2) इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 05 वर्ष तक पदोन्नति के पदों को सीधी भर्ती की प्रक्रिया को अपनाते हुये भरा जा सकेगा, परन्तु इस स्थिति में इन पदों के लिए पदोन्नति का रोस्टर लागू होगा।
- (3) वैधानिक बाधा होने के कारण पदोन्नति नहीं होने की स्थिति में तथा पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी न होने की स्थिति में पदोन्नति के पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा परन्तु इन पदों के लिए इस स्थिति में पदोन्नति का रोस्टर लागू होगा।
- (4) मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित स्वशासी/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पद पर सीधी भर्ती में उनके अनुभव का लाभ दिया जाएगा।
- (5) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय (अनुसूची—एक में यथाविनिर्दिष्ट) कर्तव्य पदों की संख्या की अनुसूची—दो में दर्शाये गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (6) मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 के उपबंधों के अधीन रहते हुये भर्ती की किसी भी विशेष कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में की किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा अवधारित की जाएगी।

- (7) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यदि शासन की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुये यदि आवश्यक हो तो शासन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में ऐसे पदों की भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित किए गए हों।
7. सेवा में नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन किए जाने के बाद ही की जायेगी अन्यथा नहीं।
8. सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें.— सीधी भर्ती से चयन किए जाने/प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिये अर्थात्:—
- (1) आयु.— न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट ऐसी होगी जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अवधारित किया जाए।
- (2) शैक्षणिक अर्हताएं.— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित की गई ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं होनी चाहिये जो कि अनुसूची तीन में दर्शाई गई है, परन्तु:—
- (3) फीस.— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग/शासन द्वारा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित फीस का संदाय करना होगा।
9. निरर्हता.—
- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग/शासन द्वारा परीक्षा/चयन के लिए निरर्हता के रूप में माना जाएगा।
- (2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी 2 से अधिक संतान हों, जिसमें से 1 का जन्म 26 जनवरी, 2001 को अथवा उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि दूसरी संतान जुड़वां न हो।
- (4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो सेवा के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित हो तो उसकी नियुक्ति आपराधिक मामले का विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी।

- (5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित हो, सेवा के लिए अपात्र होगा।
  - (6) ऐसा कोई कारण जो राज्य शासन द्वारा विहित किया जाए।
10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।**— चयन परीक्षा में प्रवेश हेतु ग्राह्य किए जाने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और अभ्यर्थी को जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है आयोग द्वारा परीक्षा हेतु उसका साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा/उसे परीक्षा हेतु ग्राह्य नहीं किया जाएगा।
11. **चयन/प्रतियोगी परीक्षा सीधी भर्ती।**—
- (1) सेवा में सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार ली जाएगी जो कि शासन समय-समय पर जारी करे।
  - (2) यदि शासन साक्षात्कार से सीधी भर्ती करने का निर्णय लेती है तो शासन के अधीन कोई प्राधिकारी अथवा आयोग चयन द्वारा सीधी भर्ती कर सकेगा।
  - (3) सीधी भर्ती के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद राज्य शासन द्वारा समय-समय पर आरक्षण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आरक्षित रखे जाएंगे। उपलब्ध रिक्तियों में से मध्यप्रदेश लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए भी पद आरक्षित रखे जाएंगे।
  - (4) इस प्रकार रिक्त स्थानों को भरते समय ऐसे अभ्यर्थियों की जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो।
  - (5) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियां किसी भी रीति से अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी।
  - (6) शासन द्वारा भूतपूर्व सैनिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग जनों/निःशक्तजनों के लिए आरक्षण के उपबंध होरीज़न्टल (क्षैतिज) एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज होंगे।

- (7) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019 में जारी प्रावधान अनुसार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले अपेक्षित व्यक्तियों की संख्या के दस प्रतिशत पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू.एस.) हेतु आरक्षित होंगे।
12. **आयोग द्वारा अनुशासित किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**— (1) आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तर से जैसा कि आयोग अवधारित करें अर्हता हो तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों की जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न हों फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किए गए हों अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम से बनाई गई सूची शासन को अग्रेषित करेगा। सूची सर्वधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में आए उनके नामों के क्रम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (4) आयोग द्वारा जारी चयन सूची, जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी तथा जिसे आयोग की सहमति से 6 माह की कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
13. **परिवीक्षा.**— सेवा में भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।
14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—
- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए अनुसूची-चार में यथा उल्लेखित सदस्यों से मिलकर एक पदोन्नति समिति गठित की जाएगी।
- (2) समिति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अनुसूची-चार में उल्लेखित पदों के लिए समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी।
- (3) समिति ऐसे अंतरालों से बैठक करेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निर्देश दे परन्तु समिति सामान्यतः वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक अवश्य करेगी।

- (4) उपनियम (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को उतने वर्षों की सेवा (चाहेस्थानापन्न के रूप में या मूलरूप में) उस पद पर जिससे पदोन्नति की जाना है जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है पूर्ण कर ली हो तथा जो उप नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण के क्षेत्र (जोन ऑफ कन्सीडरेशन) के भीतर आते हो:

परन्तु आपातकालीन कमीशन तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन से निर्मुक्त किए गए अधिकारियों की सेवा की गणना में उनकी नियुक्ति के पश्चात् से की जाएगी जिस तारीख से उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266-1987-एक(33)-67 तारीख 21 अक्टूबर 1967 के अनुसार सेवा में नियुक्त किया समझा गया हो:

परन्तु यह और भी कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमानता देकर प्रवर श्रेणी/पदोन्नति के लिए केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जाएगा कि उसने विहित सेवा पूर्ण कर ली है।

- (5) चयन के लिए विचारार्थ क्षेत्र चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या में साधारणतः योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में सात गुना तक सीमित होगा और चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के साधारणतः वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में पांच गुना तक सीमित होगा:

परन्तु इस प्रकार अवधारित किये गए क्षेत्र में यदि अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो उस क्षेत्र को उस सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा जो समिति द्वारा लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए आवश्यक समझी जाए।

- (6) प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के उप खण्डों के अधीन जारी किए जाएं अनुदेशों का पालन किया है।

15. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.**— (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो उपरोक्त नियम 14 में विहित शर्त को पूरा करते हों तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त ठहराये गए हों। यह सूची तैयार कराने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी।

- (2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन वरिष्ठता का सम्यक ध्यान रखते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।
- (3) प्रत्येक चयन सूची को तैयार करते समय सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों के नाम अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे:

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को जो समिति की राय में असाधारण रूप से योग्यता तथा उपयुक्त हो उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण.— ऐसे किसी व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है वरिष्ठता का दावा नहीं होगा।

- (4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।
  - (5) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान किसी सदस्य को अधिक्रमित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।
16. **आयोग से परामर्श.**— विभागीय पदोन्नति समिति जिसकी अध्यक्षता आयोग के किसी सदस्य द्वारा की गई हो की सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग के सदस्य के साथ परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन हो गया है तथा आयोग के साथ पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।
17. **चयन सूची.**— (1) शासन द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची अनुसूची चार के कॉलम (2) में दर्शाये गए पदों से अनुसूची-चार के कॉलम (3) में दर्शाये पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

- (2) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता ऐसी सूची तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में शासन तथा आयोग की प्रेरणा द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा।



18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**— (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जाएगी जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में हों:

परन्तु जहां प्रशासकीय अत्यावश्यकता के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो वहां उस व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं हो या जिसका नाम चयन सूची में दिये गए क्रम में ठीक नीचे न हो सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा। यदि शासन का यह समाधान हो जांच कि रिक्ति के तीन मास से अधिक समय तक चलने की संभावना नहीं है।

- (2) ऐसे किसी व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गई हो जो शासन की राय में ऐसी हों जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो।

19. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथलीकरण.**— इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामलों में जिस पर ये नियम लागू होते हों, राज्यपाल की ऐसी रीति में कार्यवाही करने की जो उसे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

21. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा अनुरूप शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

22. **निरसन और व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी तथा इनके प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त सभी नियम तथा मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद द्वारा निरस्त किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरस्त नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कारवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कारवाई समझी जाएगी।

संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा  
अनुसूची-एक "अ"  
(देखिए नियम 5)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और पदों की संख्या

अनुक्रमांक	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	शिर्मांक
1	2	3	4	5
1.	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा	1	प्रथम श्रेणी	प्रतिनियुक्ति से सातवें वेतनमान (केन्द्रीय) का वेतन रु. 1,44,200/- लेवल-14
2.	संचालक, चिकित्सा शिक्षा	1	प्रथम श्रेणी	सातवें वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
3.	संचालक बृहद परियोजना	1	तदैव	सातवें वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
4.	संयुक्त संचालक	3	तदैव	सातवें वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
5.	अपर संचालक (राज्य प्रशासनिक एवं अन्य)	2	तदैव	प्रतिनियुक्ति से
6.	अपर संचालक (वित्त)	1	तदैव	प्रतिनियुक्ति से (वित्त सेवाएं)
7.	उप संचालक (तकनीकी)	1	तदैव	प्रतिनियुक्ति से
8.	उप संचालक (गैर तकनीकी)	1	तदैव	प्रतिनियुक्ति/ पदोन्नति से
9.	अधीक्षण अभियंता	1	तदैव	सातवें वेतनमान का वेतन रु. 79900/- लेवल-14 प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति से
10.	कार्यपालन अभियंता (सिविल) (सिविल विंग)	2	तदैव	सातवें वेतनमान का वेतन रु. 67300/- लेवल-13 प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति से
11.	कार्यपालन अभियंता (विद्युत यांत्रिकी) (सिविल विंग)	1	तदैव	सातवें वेतनमान का वेतन रु. 67300/- लेवल-13 प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति से
12.	सहायक अभियंता (सिविल)	7	द्वितीय श्रेणी	सातवें वेतनमान का वेतन रु. 56100/- लेवल-12 पदोन्नति/सीधी भर्ती से
13.	सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	2	तदैव	सातवें वेतनमान का वेतन रु. 56100/- लेवल-12 पदोन्नति/सीधी भर्ती से
कुल पद		24		

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
 अनुसूची-एक "ब"  
 (देखिए नियम 5)  
 सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और पदों की संख्या

अनुक्रमांक	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	रिमार्क
1	2	3	4	5
1.	अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय	1	प्रथम श्रेणी	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
2.	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक (चिकित्सालय)	1	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
3.	प्राध्यापक (एनॉटामी)	1	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
4.	प्राध्यापक (फिजियोलॉजी)	1	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
5.	प्राध्यापक (बायोकेमेस्ट्री)	1	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
6.	प्राध्यापक (फार्माकोलॉजी)	1	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
7.	प्राध्यापक (पैथालॉजी)	1	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
8.	प्राध्यापक (फॉरेंसिक मेडिसिन)	1	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
9.	प्राध्यापक (माइक्रोबायोलॉजी)	1	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
10.	प्राध्यापक (कम्युनिटी मेडिसिन)	1	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
11.	प्राध्यापक (जनरल मेडिसिन)	1	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
12.	प्राध्यापक (पीडियाट्रिक्स)	1	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु.

अनुक्रमांक	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	रिमांक
1	2	3	4	5
				1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
13.	प्राध्यापक (डर्मेटोलॉजी)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
14.	प्राध्यापक (साईकेट्री)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
15.	प्राध्यापक (जनरल सर्जरी)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
16.	प्राध्यापक (आर्थोपेडिक्स)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
17.	प्राध्यापक (ओटो रिहनो लारयंगोलॉजी)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
18.	प्राध्यापक (आपथलमोलॉजी)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
19.	प्राध्यापक (आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायानोकोलॉजी)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
20.	प्राध्यापक (एनेस्थीसियोलॉजी)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
21.	प्राध्यापक (रेडियोडायग्नोसिस)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
22.	प्राध्यापक (डेन्टीस्ट्री)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
23.	प्राध्यापक (इमरजेन्सी मेडिसिन)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
24.	प्राध्यापक(फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,44,200/- एकेडमिक लेवल-14
कुल पद		24		

**सह प्राध्यापक**  
अनुसूची-एक "स"  
(देखिए नियम 5)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और पदों की संख्या

अनुक्रमांक	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	रिमार्क
1.	सह प्राध्यापक (एनॉटॉमी)	1	प्रथम श्रेणी	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
2.	सह प्राध्यापक (फिजियोलॉजी)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
3.	सह प्राध्यापक (बायोकेमिस्ट्री)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
4.	सह प्राध्यापक (फार्माकोलॉजी)	2	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
5.	सह प्राध्यापक (पैथोलॉजी)	3	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
6.	सह प्राध्यापक (फॉरेंसिक मेडिसिन)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
7.	सह प्राध्यापक(माइक्रोबायोलॉजी)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
8.	सह प्राध्यापक (कम्युनिटी मेडिसिन)	2	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
9.	सह प्राध्यापक (जनरल मेडिसिन)	5	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए

अनुक्रमांक	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	रिमार्क
10.	सह प्राध्यापक (पीडियाट्रिक्स)	3	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
11.	सह प्राध्यापक (डर्मेटोलॉजी)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
12.	सह प्राध्यापक (साईकेट्री)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
13.	सह प्राध्यापक (रिसपिरेटरी मेडिसिन)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
14.	सह प्राध्यापक (जनरल सर्जरी)	5	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
15.	सह प्राध्यापक (आर्थोपेडिक्स)	3	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
16.	सह प्राध्यापक (ओटो रिहनो लारयंगोलॉजी)	2	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
17.	सह प्राध्यापक (आथैल्मोलॉजी)	2	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
18.	सह प्राध्यापक (आब्सटेट्रिक्स एण्ड गायानोकोलॉजी)	4	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
19.	सह प्राध्यापक (एनेस्थीसियोलॉजी)	3	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
20.	सह प्राध्यापक, (रेडियोडायग्नोसिस)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
21.	सह प्राध्यापक (डेन्टीस्ट्री)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
22.	सह प्राध्यापक (इमरजेन्सी मेडिसिन)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
23.	सह प्राध्यापक (फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 1,31,400/- एकेडमिक लेवल-13 ए
कुल पद		46		

**सहायक प्राध्यापक**

अनुसूची-एक "द"  
(देखिए नियम 5)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और पदों की संख्या

अनुक्रमांक	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	रिमार्क
1.	सहायक प्राध्यापक (एनाटॉमी)	3	प्रथम श्रेणी	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
2.	सहायक प्राध्यापक (फिजियोलॉजी)	3	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
3.	सहायक प्राध्यापक (बायोकेमिस्ट्री)	2	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
4.	सहायक प्राध्यापक (फार्माकोलॉजी)	3	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
5.	सहायक प्राध्यापक (पैथोलॉजी)	3	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
6.	सहायक प्राध्यापक (फॉरेंसिक मेडिसिन)	1	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
7.	सहायक प्राध्यापक (माइक्रोबायोलॉजी)	3	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
8.	सहायक प्राध्यापक (कम्युनिटी मेडिसिन)	5	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
9.	सहायक प्राध्यापक (जनरल मेडिसिन)	9	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
10.	सहायक प्राध्यापक (पीडियाट्रिक्स)	5	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
11.	सहायक प्राध्यापक (डर्मेटोलॉजी)	1	तद्वैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11

अनुक्रमांक	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	रिमांक
12.	सहायक प्राध्यापक (साईकेट्री)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
13.	सहायक प्राध्यापक (रेसपिरेटरी मेडिसिन)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
14.	सहायक प्राध्यापक (जनरल सर्जरी)	9	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
15.	सहायक प्राध्यापक (आर्थोपेडिक्स)	5	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
16.	सहायक प्राध्यापक (ओटो रायनो लैरिंगोलॉजी)	3	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
17.	सहायक प्राध्यापक (आथ्यैल्मोलॉजी)	3	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
18.	सहायक प्राध्यापक (आब्स्ट्रेटिक एण्ड गायनोकोलॉजी)	7	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
19.	सहायक प्राध्यापक (एनेस्थीसियोलॉजी)	5	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
20.	सहायक प्राध्यापक (रेडियोडायग्नोसिस)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
21.	सहायक प्राध्यापक (डेन्टीस्ट्री)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
22.	सहायक प्राध्यापक (इमरजेन्सी मेडिसिन)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
23.	सहायक प्राध्यापक (फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन)	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 68,900/- एकेडमिक लेवल-11
<b>कुल पद</b>		<b>76</b>		



**चिकित्सीय संवर्ग**

अनुसूची-एक "ई"

(देखिए नियम 5)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और पदों की संख्या

अनुक्रमांक	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	रिमार्क
1	2	3	4	5
1.	महिला चिकित्सा अधिकारी	2	द्वितीय श्रेणी	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 56100/- लेवल-12
2.	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	8	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 56100/- लेवल-12
3.	ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर	1	तदैव	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 56100/- लेवल-12
कुल पद		11		

**गैर चिकित्सीय संवर्ग**

अनुसूची-एक "ई"

(देखिए नियम 5)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और पदों की संख्या

अनुक्रमांक	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	रिमार्क
1	2	3	4	5
1.	वित्त अधिकारी (उप संचालक)	1	प्रथम श्रेणी	प्रतिनियुक्ति से वित्तीय सेवा
2.	वित्त अधिकारी (सहायक संचालक)	1	द्वितीय श्रेणी	प्रतिनियुक्ति से वित्तीय सेवा
3.	नर्सिंग अधीक्षक	1	द्वितीय श्रेणी	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 56100/- लेवल-12
4.	चिकित्सा अभिलेख अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 56100/- लेवल-12

संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा  
अनुसूची-दो "अ"  
(देखिए नियम-6)  
भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	पदों की संख्या		रिमार्क
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा (आई.ए.एस.)	भारतीय प्रशासनीक सेवा प्रथम श्रेणी	1	-	-	सामान्य प्रशासन विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा
2.	संचालक, चिकित्सा शिक्षा	चिकित्सा शैक्षणिक संवर्ग सेवाएं प्रथम श्रेणी	1	-	100%	प्राध्यापक के पद से प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति
3.	संचालक वृहद परियोजना	तदैव	1	-	100%	प्राध्यापक के पद से प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति
4.	संयुक्त संचालक	तदैव	3	-	100%	सह प्राध्यापक के पद से प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति
5.	अपर संचालक (राज्य प्रशासनिक एवं अन्य)		2	-	-	राज्य प्रशासनीक सेवाएं से प्रतिनियुक्ति
6.	अपर संचालक (वित्त)	तदैव	1	-	-	वित्त सेवाएं से प्रतिनियुक्ति
7.	उप संचालक (तकनीकी)		1	-	100%	प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति से
8.	उप संचालक (गैर तकनीकी)	तदैव	1	-	100%	प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति से
9.	अधीक्षण यंत्री	तदैव	1	-	-	प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति से
10.	कार्यपालन अभियंता (सिविल)		2	-	-	प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति से
11.	कार्यपालन अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी)		1	-	-	प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति से
12.	सहायक अभियंता (सिविल)	द्वितीय श्रेणी	7	50%	50%	पदोन्नति / सीधी भर्ती से
13.	सहायक अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी)	द्वितीय श्रेणी	2	50%	50%	पदोन्नति / सीधी भर्ती से
<b>कुल पद</b>			<b>24</b>			

नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
अनुसूची-दो "ब"  
(देखिए नियम-6)  
भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	पदों की संख्या		रिमांक
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय	चिकित्सा शैक्षणिक संवर्ग सेवाएं प्रथम श्रेणी	1	—	100%	
2.	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक (चिकित्सालय)	तदैव	1	—	—	प्राध्यापक के पद से स्थानांतरण द्वारा/संचालक, चिकित्सा सेवाओं से प्रतिनियुक्ति से
3.	प्राध्यापक (एनॉटामी)	तदैव	1	—	100%	
4.	प्राध्यापक (फिजियोलॉजी)	तदैव	1	—	100%	
5.	प्राध्यापक (बायोकेमेस्ट्री)	तदैव	1	—	100%	
6.	प्राध्यापक (फार्माकोलॉजी)	तदैव	1	—	100%	
7.	प्राध्यापक (पैथालॉजी)	तदैव	1	—	100%	
8.	प्राध्यापक (फॉरेंसिक मेडिसिन)	तदैव	1	—	100%	
9.	प्राध्यापक (माइक्रोबायोलॉजी)	तदैव	1	—	100%	
10.	प्राध्यापक (कम्युनिटी मेडिसिन)	तदैव	1	—	100%	
11.	प्राध्यापक (जनरल मेडिसिन)	तदैव	1	—	100%	
12.	प्राध्यापक (पीडियाट्रिक्स)	तदैव	1	—	100%	
13.	प्राध्यापक (डर्मटोलॉजी)	तदैव	1	—	100%	
14.	प्राध्यापक (साइकेट्री)	तदैव	1	—	100%	

15.	प्राध्यापक (जनरल सर्जरी)	तदैव	1	—	100%	
16.	प्राध्यापक (आर्थोपेडिक्स)	तदैव	1	—	100%	
17.	प्राध्यापक (ओटो रिहनो लारयंगोलॉजी)	तदैव	1	—	100%	
18.	प्राध्यापक (आपथलमोलॉजी)	तदैव	1	—	100%	
19.	प्राध्यापक (आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायानोकोलॉजी)	तदैव	1	—	100%	
20.	प्राध्यापक (एनेस्थीसियोलॉजी)	तदैव	1	—	100%	
21.	प्राध्यापक (रेडियोलॉजिस्ट)	तदैव	1	—	100%	
22.	प्राध्यापक (डेंटिस्ट्री)	तदैव	1	—	100%	
23.	प्राध्यापक (इमरजेन्सी मेडिसिन)	तदैव	1	—	100%	
24.	प्राध्यापक (फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन)	तदैव	1	—	100%	
<b>कुल पद</b>			<b>24</b>			

अनुसूची-दो "स"  
(देखिए नियम-6)  
भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	पदों की संख्या		रिमार्क
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7
1.	सह प्राध्यापक (एनॉटॉमी)	चिकित्सा शैक्षणिक संवर्ग सेवाएं प्रथम श्रेणी	1	—	100%	
2.	सह प्राध्यापक (फिजियोलॉजी)	तदैव	1	—	100%	
3.	सह प्राध्यापक (बायोकेमिस्ट्री)	तदैव	1	—	100%	
4.	सह प्राध्यापक (फार्माकोलॉजी)	तदैव	2	—	100%	
5.	सह प्राध्यापक (पैथोलॉजी)	तदैव	3	—	100%	
6.	सह प्राध्यापक (फॉरेंसिक मेडिसिन)	तदैव	1	—	100%	
7.	सह प्राध्यापक(माइक्रोबायोलॉजी)	तदैव	1	—	100%	
8.	सह प्राध्यापक (कम्युनिटी मेडिसिन)	तदैव	2	—	100%	
9.	सह प्राध्यापक (जनरल मेडिसिन)	तदैव	5	—	100%	
10.	सह प्राध्यापक (पीडियाट्रिक्स)	तदैव	3	—	100%	
11.	सह प्राध्यापक (डर्मेटोलॉजी)	तदैव	1	—	100%	
12.	सह प्राध्यापक (साइकेट्री)	तदैव	1	—	100%	
13.	सह प्राध्यापक (रेसपिरेटरी मेडिसिन)	तदैव	1	—	100%	
14.	सह प्राध्यापक (जनरल सर्जरी)	तदैव	5	—	100%	
15.	सह प्राध्यापक (आर्थोपेडिक्स)	तदैव	3	—	100%	
16.	सह प्राध्यापक (ओटो रिहनो लारयंगोलॉजी)	तदैव	2	—	100%	
17.	सह प्राध्यापक (आथैल्मोलॉजी)	तदैव	2	—	100%	
18.	सह प्राध्यापक (आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायानोकोलॉजी)	तदैव	4	—	100%	
19.	सह प्राध्यापक (एनेस्थीसियोलॉजी)	तदैव	3	—	100%	
20.	सह प्राध्यापक, (रेडियोडायग्नोसिस)	तदैव	1	—	100%	
21.	सह प्राध्यापक (डेन्टीस्ट्री)	तदैव	1	—	100%	
22.	सह प्राध्यापक (इमरजेन्सी मेडिसिन)	तदैव	1	—	100%	
23.	सह प्राध्यापक (फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन)	तदैव	1	—	100%	
<b>कुल पद</b>			<b>46</b>			

अनुसूची-दो "द"  
(देखिए नियम-6)  
भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	पदों की संख्या		रिमार्क
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7
1.	सहायक प्राध्यापक (एनाटॉमी)	चिकित्सा शैक्षणिक संवर्ग सेवाएं प्रथम श्रेणी	3	100%	—	
2.	सहायक प्राध्यापक (फिजियोलॉजी)	तदैव	3	100%	—	
3.	सहायक प्राध्यापक (बायोकेमिस्ट्री)	तदैव	2	100%	—	
4.	सहायक प्राध्यापक (फार्माकोलॉजी)	तदैव	3	100%	—	
5.	सहायक प्राध्यापक (पैथोलॉजी)	तदैव	3	100%	—	
6.	सहायक प्राध्यापक (फॉरेंसिक मेडिसिन)	तदैव	1	100%	—	
7.	सहायक प्राध्यापक (माइक्रोबायोलॉजी)	तदैव	3	100%	—	
8.	सहायक प्राध्यापक (कम्युनिटी मेडिसिन)	तदैव	5	100%	—	
9.	सहायक प्राध्यापक (जनरल मेडिसिन)	तदैव	9	100%	—	
10.	सहायक प्राध्यापक (पीडियाट्रिक्स)	तदैव	5	100%	—	
11.	सहायक प्राध्यापक (डर्मटोलॉजी)	तदैव	1	100%	—	
12.	सहायक प्राध्यापक (साइकेट्री)	तदैव	1	100%	—	
13.	सहायक प्राध्यापक (रिसपिरेटरी मेडिसिन)	तदैव	1	100%	—	

14.	सहायक प्राध्यापक (जनरल सर्जरी)	तदैव	9	100%	—	
15.	सहायक प्राध्यापक (आर्थोपेडिक्स)	तदैव	5	100%	—	
16.	सहायक प्राध्यापक (ओटो रायनो लैरिंगोलॉजी)	तदैव	3	100%	—	
17.	सहायक प्राध्यापक (आप्टैल्मोलॉजी)	तदैव	3	100%	—	
18.	सहायक प्राध्यापक (आब्स्ट्रेटिक एण्ड गायनोकोलॉजी)	तदैव	7	100%	—	
19.	सहायक प्राध्यापक (एनेस्थीसियोलॉजी)	तदैव	5	100%	—	
20.	सहायक प्राध्यापक (रेडियोडायग्नोसिस)	तदैव	1	100%	—	
21.	सहायक प्राध्यापक (डेन्टीस्ट्री)	तदैव	1	100%	—	
22.	सहायक प्राध्यापक (इमरजेन्सी मेडिसिन)	तदैव	1	100%	—	
23.	सहायक प्राध्यापक (फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन)	तदैव	1	100%	—	
<b>कुल पद</b>			<b>76</b>			

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
चिकित्सीय संवर्ग  
अनुसूची-दो "ई"  
(देखिए नियम 6)  
भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	पदों की संख्या		रिमार्क
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7
1.	महिला चिकित्सा अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	2	100%	-	
2.	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	8	100%	-	
3.	ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर	द्वितीय श्रेणी	1	100%	-	
कुल पद			11			

गैर चिकित्सीय संवर्ग  
अनुसूची-दो "ई"  
(देखिए नियम 6)  
भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	पदों की संख्या		रिमार्क
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7
1.	वित्त अधिकारी (उप संचालक)	प्रथम श्रेणी	1	-	-	प्रतिनियुक्ति से वित्तीय सेवा
2.	वित्त अधिकारी (सहायक संचालक)	द्वितीय श्रेणी	1	-	-	प्रतिनियुक्ति से वित्तीय सेवा
3.	नर्सिंग अधीक्षक	द्वितीय श्रेणी	1	-	100%	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 56100/- लेवल-12
4.	चिकित्सा अभिलेख अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	1	100%	-	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 56100/- लेवल-12



संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा

अनुसूची-तीन

(देखिये नियम-8(1))

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
चिकित्सा शिक्षा विभाग	1.	सहायक अभियंता (सिविल)	21	शासन द्वारा	स्नातक (बी.ई. सिविल)	
	2.	सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	21	निर्धारित	स्नातक (बी.ई. विद्युत/यांत्रिकी)	

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
अनुसूची-तीन  
(देखिए नियम-8 (1))  
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
चिकित्सा शिक्षा विभाग	1.	सहायक प्राध्यापक (एनाटॉमी)	21	शासन द्वारा निर्धारित	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पत्रता योग्यता विनियम (TEQ) में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव।	
	2.	सहायक प्राध्यापक (फिजियोलॉजी)	21	तदैव	तदैव	
	3.	सहायक प्राध्यापक (बायोकेमिस्ट्री)	21	तदैव	तदैव	
	4.	सहायक प्राध्यापक (फार्माकोलॉजी)	21	तदैव	तदैव	
	5.	सहायक प्राध्यापक (पैथोलॉजी)	21	तदैव	तदैव	
	6.	सहायक प्राध्यापक (फॉरेंसिक मेडिसिन)	21	तदैव	तदैव	
	7.	सहायक प्राध्यापक (माइक्रोबायोलॉजी)	21	तदैव	तदैव	
	8.	सहायक प्राध्यापक (कम्युनिटी मेडिसिन)	21	तदैव	तदैव	
	9.	सहायक प्राध्यापक (जनरल मेडिसिन)	21	तदैव	तदैव	
	10.	सहायक प्राध्यापक (पीडियाट्रिक्स)	21	तदैव	तदैव	
	11.	सहायक प्राध्यापक (डर्मटोलॉजी)	21	तदैव	तदैव	
	12.	सहायक प्राध्यापक (साइकेट्री)	21	तदैव	तदैव	

13.	सहायक प्राध्यापक (रेसपिरेटरी मेडिसिन)	21	तदैव	तदैव	
14.	सहायक प्राध्यापक (जनरल सर्जरी)	21	तदैव	तदैव	
15.	सहायक प्राध्यापक (आर्थोपेडिक्स)	21	तदैव	तदैव	
16.	सहायक प्राध्यापक (ओटो रायनो लैरिंगोलॉजी)	21	तदैव	तदैव	
17.	सहायक प्राध्यापक (आपथैल्मोलॉजी)	21	तदैव	तदैव	
18.	सहायक प्राध्यापक (आब्स्ट्रेटिक एण्ड गायनोकोलॉजी)	21	तदैव	तदैव	
19.	सहायक प्राध्यापक (एनेस्थीसियोलॉजी)	21	तदैव	तदैव	
20.	सहायक प्राध्यापक (रेडियोडायग्नोसिस)	21	तदैव	तदैव	
21.	सहायक प्राध्यापक (डेन्टीस्ट्री)	21	तदैव	तदैव	
22.	सहायक प्राध्यापक (इमरजेन्सी मेडिसिन)	21	तदैव	तदैव	
23.	सहायक प्राध्यापक (फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन)	21	तदैव	तदैव	

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
चिकित्सीय संवर्ग  
अनुसूची-तीन  
(देखिए नियम-8 (1))

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
चिकित्सा शिक्षा विभाग	1.	महिला चिकित्सा अधिकारी	21	शासन द्वारा निर्धारित	एम.बी.बी. एस. एवं एम.पी. एम.सी. का जीवित पंजीयन	
	2.	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी				
	3.	ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर				

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
गैर चिकित्सीय संवर्ग  
अनुसूची-तीन  
(देखिए नियम-8 (1))

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
चिकित्सा शिक्षा विभाग	1	चिकित्सा अभिलेख अधिकारी	21	शासन द्वारा निर्धारित	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2. एक वर्ष का अनुभव किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ संस्थान में चिकित्सा अभिलेख संधारण का प्रशिक्षण उत्तीर्ण।	

संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा

अनुसूची-चार

(देखिए नियम-14 (1))

पदोन्नति का तरीका, आवश्यक अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

विभाग का नाम	स.क्र.	पद का नाम जिस से पदोन्नति की जाएगी	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	अनिवार्य अर्हता एवं अनुभव	गठित समिति (नियम 14 (1) देखिये)
1	2	3	4	5	6
चिकित्सा शिक्षा विभाग	1.	प्राध्यापक	संचालक चिकित्सा शिक्षा	03 वर्ष का प्रशासनीक कार्य अनुभव	1.अध्यक्ष- म.प्र. लोक सेवा आयोग अथवा प्रतिनिधि
	2.	प्राध्यापक	संचालक, परियोजना (वृहद)	03 वर्ष का प्रशासनीक कार्य अनुभव	2.सदस्य-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. शासन।
	3.	सह प्राध्यापक	संयुक्त संचालक	03 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव	3.सदस्य-आयुक्त/संचालक, चिकित्सा शिक्षा
		उप संचालक		05 वर्ष का प्रशासनीक कार्य अनुभव	4.सदस्य- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय
	4.	सहायक प्राध्यापक	उप संचालक	05 वर्ष का प्रशासनीक कार्य अनुभव	5.सदस्य-अनु. जाति/अनु. जनजाति/ओबीसी का प्रथम श्रेणी संवर्ग से शासन द्वारा मनोनीत सदस्य
	5.	कार्यपालन अभियंता सिविल	अधीक्षण अभियंता	कार्यपालन यंत्री के पद पर 05 वर्ष का कार्य अनुभव	6.सदस्य संयोजक - उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
	6.	सहायक अभियंता सिविल	कार्यपालन अभियंता सिविल	सहायक यंत्री के पद पर 06 वर्ष का कार्य अनुभव	
7.	सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी	कार्यपालन अभियंता विद्युत यांत्रिकी	सहायक यंत्री के पद पर 06 वर्ष का कार्य अनुभव		

## शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

## अनुसूची-चार

## (देखिए नियम-14 (1))

पदोन्नति का तरीका, आवश्यक अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

विभाग का नाम	स.क्र.	पद का नाम जिस से पदोन्नति की जाएगी	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	अनिवार्य अर्हता एवं अनुभव	गठित समिति (नियम 14 (1) देखियें)
1	2	3	4	5	6
चिकित्सा शिक्षा विभाग	1.	प्राध्यापक	अधिष्ठाता	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार अर्जित अर्हता अनिवार्य।	1.अध्यक्ष- म.प्र. लोक सेवा आयोग अथवा प्रतिनिधि 2.सदस्य- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा, म. प्र. शासन। 3.सदस्य- आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा 4.सदस्य- संचालक, चिकित्सा शिक्षा
	2.	सह प्राध्यापक	प्राध्यापक		
	3.	सहायक प्राध्यापक	सह प्राध्यापक		
	4.	मेट्रन/सहायक मेट्रन/परिचारिका अधीक्षक (तृतीय श्रेणी)	नर्सिंग अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी)	05 वर्ष का अनुभव चिकित्सालय में कार्य करने का	5.सदस्य- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय 6.सदस्य- अनु.जाति/अनु. जनजाति/ओबीसी का प्रथम श्रेणी संवर्ग से शासन द्वारा मनोनीत सदस्य 7.सदस्य संयोजक- संयुक्त संचालक, राजपत्रित स्थापना संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

F-1-1-1-42-2023-1-LV

Dated 20<sup>th</sup> April, 2023

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of this department's notification No. 2202-XVII-Med-II dated 12<sup>th</sup> May, 1988, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment to the Madhya Pradesh Medical Education (Gazetted) Service, namely:-

## **RULES**

### **1. Short title and commencement.-**

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

### **2. Definitions.-**In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Appointing Authority" in relation to service or post means the Government or such officer empowered to make an appointment to this services or post;
- (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
- (c) "Commissioner" means the Commissioner, Medical Education, Madhya Pradesh;
- (d) "Committee" means the Selection Committee / Departmental Promotion Committee / Scrutiny Committee;
- (e) "Economically Weaker Section" means the as per direction given in circular of General Administration Department dated 02<sup>nd</sup> July, 2019, 18<sup>th</sup> July, 2019 and 22<sup>nd</sup> November,

2019 and as per amended provisions made from time to time;

- (f) "Examination" means competitive examination which is conducted to make recruitment under rule 11 of these rules;
- (g) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (h) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26<sup>th</sup> December, 1984, as amended from time to time;
- (j) "Prescribed agency" means an agency under Government of Madhya Pradesh, through which the competitive examination is conducted;
- (k) "Reservation to Ex-service man, persons with disability, women mean which shall be as per circulars issued and notification as amended from time to time by General Administration Department;
- (l) "Schedule" means Schedule appended to these rules;
- (m) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;;
- (n) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified



as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

- (o) "Service" means the Madhya Pradesh Medical Education (Gazetted) Service.

### **3. Scope and Application.-**

Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Condition of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

### **4. Constitution of the Service.-**The Service shall consist of the following persons, namely:-

- (a) person who, at the time of commencement of these rules, are holding any post as specified in schedule-I substantively or in officiating capacity; and
- (b) persons, recruited to the service in accordance with the Madhya Pradesh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2023.

### **5. Classification, Pay Scales etc.-**

- (1) The classification of the service, pay scale and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I "A", Schedule-I "B", Schedule-I "C", Schedule-I "D", Schedule-I "E":

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the Service either on a permanent or temporary basis.

- (2) Any of the members of the service shall not be eligible for any compensation in case of the result of any structural change in the service or not filling up any vacant post in cadre by the Government or to be held deferred,

**6. Method of recruitment.-**

- (1) Recruitment to the service after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely:-
  - (a) by direct recruitment through interview or competitive examination or by both;
  - (b) by promotion of the members of the service.
- (2) Posts of promotion may be filled adopting direct recruitment method by 5 years from the date of publication of these rules in the Gazette, but in this case promotion roster shall be applicable for these posts.
- (3) In case of non-promotion due to any legal hurdle and non-availability of the suitable candidates for promotion, the promotion posts may be filled by direct recruitment but in such a situation the promotion roster shall be applicable for the promotion.
- (4) The medical teachers working in the autonomous/Government Medical Colleges shall be given advantage of their experience in direct recruitment on the post of Associate Professor and Professor.
- (5) The number of persons recruited under clause (b) of sub-rule (1) shall not at any time (as specified in Schedule-I) exceed the percentage of the number of posts as specified in Schedule II.
- (6) Subject to the provisions of the Madhya Pradesh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2023 the method or methods to be adopted for the purpose of filling any specific vacancy or vacancies in the service as may be required during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method on

each occasion shall be determined by the State Government.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so requires, then the Government may, with the prior approval of the Department of Personnel Administrative Improvement and training, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule which may be prescribed by an order issued on this behalf.

**7. Appointment in service.-** All appointments to the service after coming these rules into force shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified under rule 6.

**8. Conditions of eligibility for direct recruitment-** In order to be eligible for direct recruitment, / participation in competitive examination, a candidate must fulfil the following conditions, namely:-

(1) Age- The minimum age, maximum age and relaxation in maximum age limit shall be that as may determined by the State Government as per the circular issued by the General Administration Department, from time to time.

(2) Educational Qualifications- The candidate must have such educational qualifications and other qualifications to the service as has been shown in Schedule-III.

(3) Fees- The candidate shall have to pay the fees as revised by the Appointing Authority/Commission/Government from time to time.

**9. Disqualification.-**

- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held him disqualify for appearing in the examination/selection by the Appointing Authority/Commission/State Government.
- (2) Any candidate, who got married before the prescribed minimum age for marriage, shall be disqualified for appointment in the service or post.
- (3) Any candidate who has more than two living children, one of them was born on or after January 26, 2001, shall be disqualified for appointment to the service or post, provided that the second child is not twin.
- (4) Any candidate who has been convicted for any offence against woman shall be disqualified for appointment in the service:

Provided that if criminal proceedings against any person are pending in a court, his appointment shall keep on hold until disposal of the criminal proceedings.

- (5) Any male candidate, having more than one living wife and any female candidate who married to a person, who already has a living wife, shall be disqualified for the service.
- (6) Any other reason, as may be prescribed by the State Government.

**10. Decision of the Commission regarding eligibility to be final.-** The decision of the Commission regarding the eligibility or ineligibility of a candidate for admission to examination shall be final and the candidate who has not been issued admit card shall not be interviewed/ shall not be admitted to the examination.

## **11. Direct recruitment by Selection/ Competitive Examination.-**

- (1) An examination for direct recruitment to the service shall be held by the Commission in accordance with the orders as the State Government, from time to time, may issue.
- (2) If the Government decides to make direct recruitment by interview, then any authority under the Government or the Commission may make direct recruitment by selection.
- (3) For direct recruitment, as per the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Rules, 1998, the post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be kept reserve as per the instructions issued from time to time by the State Government. Out of the available vacancies, the posts shall also be reserved for women candidates in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (4) While filling vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Section shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 whether their relative rank may differ.
- (5) If sufficient numbers of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled by other candidates in any way.

- (6) The provisions for reservation for Ex-serviceman and physically challenged persons shall be horizontal and compartment-wise by the Government.
- (7) As per the provisions issued by the General Administration Department wide circular No.F-07-11/2019/A.Pr/I dated 2<sup>nd</sup> July 2019, 10% posts of the number of posts required to be made direct recruitment, shall be reserved for Economically Weaker Section.

## **12. List of candidates recommended by the Commission.-**

- (1) The commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of candidates who have qualified by such standards as fixed by it and of the candidates who belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Section who though not qualified by that standard, but are declared by the Commission to be suitable for the appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.
- (2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (3) Inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable by all means.
- (4) The selection list issued by the Commission shall be valid for one year from the date of issuance and which may be

extended for a period of 6 months with consent of the Commission.

**13. Probation.-** Every person recruited to the service shall be appointed on probation for two years.

**14. Appointment by Promotion.-**

- (1) A promotion committee, for promotion of eligible candidates, shall be constituted consisting of the members as mentioned in Schedule IV.
- (2) As per the directions issued by the General Administration Department from time to time, the Committee shall consider the cases of all persons mentioned in Schedule-IV.
- (3) The Committee shall hold its meeting at such intervals as the Appointing Authority may direct, but the Committee shall ordinarily hold its meeting at least twice in a year.
- (4) Subject to the provisions of sub-rule (5), the Committee shall consider the cases of all persons who, on the 1st day of January of that year, to the posts to which promotion is to be made has completed such number of years of service(whether officiating or substantially) as specified in column (2) of Schedule-IV and falling within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2):

Provided that in calculation of the service of the officers released from the emergency commission and short service commission, shall be made from their appointment to the service on date on which they are considered appointed in the service according to the General Administration Department's memorandum number 2266/1987/I(33) 67 dated October 21, 1967:

Provided further that, no junior person shall be considered for promotion to the upper grades only on the basis of his completion of the prescribed period of service before the person senior to him:

- (5) The zone of consideration for selection shall be limited to seven times the number of officers to be included in the selection list ordinarily in respect of posts to be filled on the basis of merit and seniority and the number of officers to be included in the selection list shall ordinarily be limited to five times in respect of posts to be filled on the basis of seniority and merit:

Provided that that if suitable number of officers are not available in the zone so determined, then that zone may be increased to the extent deemed necessary by the committee, mentioning the reasons in writing.

- (6) Every Appointing Authority shall endorse, on the order of promotion to be made by him, a certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and the rules issued by the General Administration Department from time to time.

#### **15. Preparation of List of Appropriate Officers.-**

- (1) The Committee shall prepare a list of persons who, , satisfy the conditions laid down in rule 14 above, and whom the Committee may consider suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient for filling the provable vacancies arising due to retirement and promotion during one year from the date of its preparation. A reserve list of twenty five percent of the number of the persons included



in the said list shall be prepared to fill the unsolicited vacancies arising during the said period.

- (2) The selection for inclusion of name in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.
- (3) The names of the officers to be included in the list shall be arranged in the order of seniority in the service in posts as specified in column (2) of Schedule-IV:

Provided that a junior officer who, in the opinion of the Committee, is particularly fit and suitable, may be given a higher position in the list than the officers senior to him.

Explanation- A person whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list cannot claim seniority over the persons considered in the subsequent selection only by the fact of his earlier selection.

- (4) The list so prepared shall be reviewed and re-examined every year.
- (5) If during such selection, review or revision it is proposed that a member be superseded, the committee shall record its reasons in writing regarding the proposed supersession.

#### **16. Consultation with the Commission.-**

In respect of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee which has been presided over by any member of the Commission, it shall be deemed that the requirements relating to consultation with the member of the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution of India is complied with and separate consultation with the commission shall not be necessary.

**17. Select List.-**

- (1) The list, finally approved by the State Government, shall be the select list of members to the Service for promotion from the post mentioned in column (2) of Schedule-IV to the post mentioned in column (3) of Schedule-IV.
- (2) The select list shall ordinarily remain in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15 but its validity shall not be extended beyond 18 months from the date of preparation of such list:

Provided that in the event of a serious lapse in the performance or performance of duty on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be done at the behest of the Commission thinks fit and the name of such persons may be removed from the select list.

**18. Appointment to the Service from the Select List.-**

- (1) The appointments of the officers included in the select list to the posts of the service cadre shall be made in the order in which the names of such officers appear in the select list:

Provided that if the State Government is satisfied that the vacancy will probably not be for a period exceeding three months, then having regard to administrative requirements, any person whose name is not in the select list or the next name in the order of the select list, may be appointed in the service.

- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list of the service, unless the period between the inclusion of his name in the select list and the

date of the proposed appointment, such defect should not arise in his work which, in the opinion of the State Government, renders him unfit for service appointment.

**19. Interpretation.-**

If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government and its decision thereon shall be final.

**20. Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as it may appear to him to be just and equitable:

Provided that no case shall be disposed of in a manner less favorable to him than that provided in these rules.

**21. Saving.-**

Nothing in these rules shall affect the reservation and other conditions required to be made available to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

**22. Repeal and Saving.-**

All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement and the Madhya Pradesh Medical Education (Gazette) Service Recruitment Rules, 1987 are hereby repealed in relation to the matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

**Directorate of Medical Education**

**Schedule -I "A"**

(See rule 5)

**Classification of the Service, pay scale and the number of posts included in the service**

S. No	Name of Post	Number of the posts	Classification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Commissioner, Medical Education	1	Class-I	By Deputation Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale (Central) Rs. 1,44,200/- Level - 14
2.	Director, Medical Education	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
3.	Director, Large Project	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
4.	Joint Director	3	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
5.	Additional Director (State Administration or other)	2	-do-	By Deputation
6.	Additional Director (Finance)	1	-do-	By Deputation (Finance Service)
7.	Deputy Director (Technical)	1	-do-	By Deputation
8.	Deputy Director (Non-Technical)	1	-do-	By Deputation / promotion
9.	Superintendent Engineer	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 79900/- Level - 14 By promotion / Direct Recruitment
10.	Executive Engineer (Civil) (Civil Wing)	2	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 67300/- Level - 13 By promotion / Direct Recruitment
11.	Executive Engineer (Electrical Engineering) (Civil Wing)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 67300/- Level - 13 By promotion / Direct Recruitment
12.	Assistant Engineer (Civil)	7	Class -II	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 56100/- Level - 12 By promotion / Direct Recruitment
13.	Assistant Engineer (Electricals Mechanics)	2	--do--	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 56100/- Level - 12 By promotion / Direct Recruitment
<b>Total Posts</b>		<b>24</b>		

**Government Medical College**  
**Schedule -I "B"**  
**(See rule 5)**  
**Classification of the Service, pay scale and the number of posts**  
**included in the service**

S. No	Name of Post	Number of the posts	Classification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dean, Medical College	1	Class-I	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
2.	Joint Director and Superintendent (Hospital)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
3.	Professor (Anatomy)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
4.	Professor (Physiology)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
5.	Professor (Biochemistry)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
6.	Professor (Pharmacology)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
7.	Professor (Pathology)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
8.	Professor (Forensic Medicine)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
9.	Professor (Microbiology)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
10.	Professor (Community Medicine)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
11.	Professor (General Medicine)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
12.	Professor (Pediatrics)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14

13.	Professor (Dermatology)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
14.	Professor (Psychiatry)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
15.	Professor (General Surgery)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
16.	Professor (Orthopedics)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
17.	Professor (Otto Rahno Laryngology)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
18.	Professor (Ophthalmology)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
19.	Professor (Obstetrics and Gynaecology)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
20.	Professor (Anaesthesiology)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
21.	Professor (Radiodiagnosis)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
22.	Professor (Dentistry)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
23.	Professor (Emergency Medicine)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
24.	Professor (Physical Medicine and Rehabilitation)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,44,200/- Academic Level - 14
<b>Total</b>		<b>24</b>		

**Associate Professor  
Schedule -I "C"  
(See rule 5)**

**Classification of the Service, pay scale and the number of posts included in the service**

S. No	Name of Post	Number of the posts	Classification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Associate Professor(Anatomy)	1	Class-I	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
2.	Associate Professor(Physiology)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
3.	Associate Professor(Biochemistry)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
4.	Associate Professor(Pharmacology)	2	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
5.	Associate Professor (Pathology)	3	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
6.	Associate Professor (Forensic Medicine)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
7.	Associate Professor(Microbiology)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
8.	Associate Professor(Community Medicine)	2	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
9.	Associate Professor(General Medicine)	5	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A

10.	Associate Professor (Pediatrics)	3	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
11.	Associate Professor (Dermatology)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
12.	Associate Professor(Psychiatry)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
13.	Associate Professor (Respiratory)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
14	Associate Professor(General Surgery)	5	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
15.	Associate Professor(Orthopedics)	3	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
16.	Associate Professor(Oto Rhino Laryngology)	2	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
17.	Associate Professor(Ophthalmology)	2	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
18.	Associate Professor(Obstetrics and Gynaecology)	4	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
19.	Associate Professor(Anaesthesiology)	3	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
20.	Associate Professor(Radiodiagnosis)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
21.	Associate Professor(Dentistry)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
22.	Associate Professor(Emergency Medicine)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
23.	Associate Professor(Physical Medicine and Rehabilitation)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 1,31,400/- Academic Level - 13 A
<b>Total</b>		<b>46</b>		



**Assistant Professor  
Schedule -I "D"  
(See rule 5)**

**Classification of the Service, pay scale and the number of posts  
included in the service**

S. No	Name of Post	Number of the posts	Classification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Assistant Professor (Anatomy)	3	Class-I	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level - 11
2.	Assistant Professor (Physiology)	3	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level - 11
3.	Assistant Professor (Biochemistry)	2	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level - 11
4.	Assistant Professor (Pharmacology)	3	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level - 11
5.	Assistant Professor (Pathology)	3	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level - 11
6.	Assistant Professor (Forensic Medicine)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level - 11
7.	Assistant Professor (Microbiology)	3	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level - 11
8.	Assistant Professor (Community Medicine)	5	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level - 11
9.	Assistant Professor (General Medicine)	9	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level - 11
10.	Assistant Professor (Pediatrics)	5	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level - 11
11.	Assistant Professor (Dermatology)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level - 11
12.	Assistant Professor (Psychiatry)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level - 11

13.	Assistant Professor (Respiratory)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level – 11
14	Assistant Professor(General Surgery)	9	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level – 11
15.	Assistant Professor(Orthopedics)	5	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level – 11
16.	Assistant Professor(Otto Rahno Laryngology)	3	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level – 11
17.	Assistant Professor(Ophthalmology)	3	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level – 11
18.	Assistant Professor(Obstetrics and Gynaecology)	7	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level – 11
19.	Assistant Professor(Anaesthesiology)	5	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level – 11
20.	Assistant Professor(Radiodiagnosis)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level – 11
21.	Assistant Professor(Dentistry)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level – 11
22.	Assistant Professor(Emergency Medicine)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level – 11
23.	Assistant Professor(Physical Medicine and Rehabilitation)	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 68,900/- Academic Level – 11
<b>Total</b>		<b>76</b>		

**Medical Cadre  
Schedule -I "E"  
(See rule 5)**

**Classification of the Service, pay scale and the number of posts  
included in the service**

S. No	Name of Post	Number of the posts	Classification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lady Medical Officer	2	Class-II	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 56,100/- Level - 12
2.	Emergency Medical Officer	8	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 56,100/- Level - 12
3.	Blood Transfusion Officer	1	-do-	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 56,100/- Level - 12
<b>Total</b>		<b>11</b>		

**Non-Medical Cadre  
Schedule -I "E"  
(See rule 5)**

**Classification of the Service, pay scale and the number of posts  
included in the service**

S. No	Name of Post	Number of the posts	Classification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Finance Officer (Deputy Director)	1	Class-I <sup>st</sup>	By deputation from Finance Service
2.	Finance Officer (Assistant Director)	1	Class-II <sup>nd</sup>	By deputation from Finance Service
3.	Nursing Superintendent	1	Class-II <sup>nd</sup>	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 56,100/- Level - 12
4.	Medical-Record Officer	1	Class-II <sup>nd</sup> .	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 56,100/- Level - 12

**Directorate of Medical Education**  
**Schedule -II "A"**  
**(See rule 6)**  
**Method of recruitment**

S. No	Name of Post	Name of Service	Number of the posts	Number of the posts		Remarks
				By direct recruitment	By Promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Commissioner, Medical Education (IAS)		1	-	-	By Deputation from General Administration Department
2.	Director, Medical Education		1	-	100%	By Deputation/Promotion from the post of Professor
3.	Director, Large Project		1	-	100%	By Deputation/Promotion from the post of Professor
4.	Joint Director		3	-	100%	By Deputation/Promotion from the post of Associate Professor
5.	Additional Director (State Administration or other)		2	-	-	By Deputation State Administrative Services
6.	Additional Director (Finance)		1	-	-	By Deputation from Finance Service -
7.	Deputy Director (Technical)		1		100%	By Deputation / promotion
8.	Deputy Director (Non-Technical)		1		100%	By Deputation / promotion
9.	Superintendent Engineer		1	-	-	By Deputation / promotion
10.	Executive Engineer (Civil) (Civil Wing)		2	-	-	By Deputation / promotion
11.	Executive Engineer (Electricals/ Mechanics) (Civil Wing)		1	-	-	By Deputation / promotion
12.	Assistant Engineer (Civil)		7	50%	50%	By promotion / Direct Recruitment
13.	Assistant Engineer (Electricals Mechanics)		2	50%	50%	By promotion / Direct Recruitment
<b>Total Posts</b>			<b>24</b>			

**Government Medical College  
Schedule -II "B"  
(See rule 6)  
Method of recruitment**

S. No.	Name of Post	Name of Service	Number of the posts	Number of the posts		Remarks
				By direct recruitment	By Promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Dean, Medical College	Medical education Cadre services Class- I	1	-	100%	
2.	Joint Director and Superintendent (Hospital)	-do-	1	-	-	By transfer from the post of Professor
3.	Professor (Anatomy)	-do-	1	-	100%	
4.	Professor (Physiology)	-do-	1	-	100%	
5.	Professor (Biochemistry)	-do-	1	-	100%	
6.	Professor (Pharmacology)	-do-	1	-	100%	
7.	Professor (Pathology)	-do-	1	-	100%	
8.	Professor (Forensic Medicine)	-do-	1	-	100%	
9.	Professor (Microbiology)	-do-	1	-	100%	
10.	Professor (Community Medicine)	-do-	1	-	100%	
11.	Professor (General Medicine)	-do-	1	-	100%	
12.	Professor (Pediatrics)	-do-	1	-	100%	
13.	Professor (Dermatology)	-do-	1	-	100%	
14.	Professor (Psychiatry)	-do-	1	-	100%	
15.	Professor (General Surgery)	-do-	1	-	100%	
16.	Professor (Orthopedics)	-do-	1	-	100%	
17.	Professor (Otto Rahno Laryngology)	-do-	1	-	100%	
18.	Professor (Ophthalmology)	-do-	1	-	100%	
19.	Professor (Obstetrics and Gynaecology)	-do-	1	-	100%	
20.	Professor (Anaesthesiology)	-do-	1	-	100%	
21.	Professor (Radiodiagnosis)	-do-	1	-	100%	
22.	Professor (Dentistry)	-do-	1	-	100%	
23.	Professor (Emergency Medicine)	-do-	1	-	100%	
24.	Professor (Physical Medicine and Rehabilitation)	-do-	1	-	100%	
<b>Total</b>			<b>24</b>			

**Schedule -II "C"**  
(See rule 6)  
**Method of recruitment**

S. No.	Name of Post	Name of Service	Number of the posts	Number of the posts		Remarks
				By direct recruitment	By Promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Associate Professor (Anatomy)	Medical education Cadre services Class-1	1	-	100%	
2.	Associate Professor (Physiology)	-do-	1	-	100%	
3.	Associate Professor (Biochemistry)	-do-	1	-	100%	
4.	Associate Professor (Pharmacology)	-do-	2	-	100%	
5.	Associate Professor (Pathology)	-do-	3	-	100%	
6.	Associate Professor (Forensic Medicine)	-do-	1	-	100%	
7.	Associate Professor (Microbiology)	-do-	1	-	100%	
8.	Associate Professor (Community Medicine)	-do-	2	-	100%	
9.	Associate Professor (General Medicine)	-do-	5	-	100%	
10.	Associate Professor (Pediatrics)	-do-	3	-	100%	
11.	Associate Professor (Dermatology)	-do-	1	-	100%	
12.	Associate Professor (Psychiatry)	-do-	1	-	100%	
13.	Associate Professor (Respiratory)	-do-	1	-	100%	
14.	Associate Professor (General Surgery)	-do-	5	-	100%	
15.	Associate Professor (Orthopedics)	-do-	3	-	100%	
16.	Associate Professor (Oto Rhino Laryngology)	-do-	2	-	100%	
17.	Associate Professor (Ophthalmology)	-do-	2	-	100%	
18.	Associate Professor (Obstetrics and Gynaecology)	-do-	4	-	100%	
19.	Associate Professor (Anaesthesiology)	-do-	3	-	100%	
20.	Associate Professor (Radiodiagnosis)	-do-	1	-	100%	
21.	Associate Professor (Dentistry)	-do-	1	-	100%	
22.	Associate Professor (Emergency Medicine)	-do-	1	-	100%	
23.	Associate Professor (Physical Medicine and Rehabilitation)	-do-	1	-	100%	
<b>Total</b>			<b>46</b>			

**Schedule -II "D"**  
(See rule 6)  
**Method of recruitment**

S. No	Name of Post	Name of Service	Number of the posts	Number of the posts		Remarks
				By direct recruitment	By Promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Assistant Professor (Anatomy)	Medical education Cadre services Class-I	3	100%		
2.	Assistant Professor (Physiology)	-do-	3	100%		
3.	Assistant Professor (Biochemistry)	-do-	2	100%		
4.	Assistant Professor (Pharmacology)	-do-	3	100%		
5.	Assistant Professor (Pathology)	-do-	3	100%		
6.	Assistant Professor (Forensic Medicine)	-do-	1	100%		
7.	Assistant Professor (Microbiology)	-do-	3	100%		
8.	Assistant Professor (Community Medicine)	-do-	5	100%		
9.	Assistant Professor (General Medicine)	-do-	9	100%		
10.	Assistant Professor (Pediatrics)	-do-	5	100%		
11.	Assistant Professor (Dermatology)	-do-	1	100%		
12.	Assistant Professor (Psychiatry)	-do-	1	100%		
13.	Assistant Professor (Respiratory)	-do-	1	100%		
14.	Assistant Professor (General Surgery)	-do-	9	100%		
15.	Assistant Professor (Orthopedics)	-do-	5	100%		
16.	Assistant Professor (Oto Rhino Laryngology)	-do-	3	100%		
17.	Assistant Professor (Ophthalmology)	-do-	3	100%		
18.	Assistant Professor (Obstetrics and Gynaecology)	-do-	7	100%		
19.	Assistant Professor (Anaesthesiology)	-do-	5	100%		
20.	Assistant Professor (Radiodiagnosis)	-do-	1	100%		
21.	Assistant Professor (Dentistry)	-do-	1	100%		
22.	Assistant Professor (Emergency Medicine)	-do-	1	100%		
23.	Assistant Professor (Physical Medicine and Rehabilitation)	-do-	1	100%		
<b>Total</b>			<b>76</b>			

**Government Medical College**  
**Medical Cadre**  
**Schedule -II "E"**  
**(See rule 6)**  
**Method of recruitment**

S. No	Name of Post	Name of Service	Number of the posts	Number of the posts		Remarks
				By direct recruitment	By Promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Lady Medical Officer	Class-II	2	100%	-	-
2.	Emergency Medical Officer	Class-II	8	100%	-	-
3.	Blood Transfusion Officer	Class-II	1	100%	-	-
<b>Total</b>			<b>11</b>			

**Non-Medical Cadre**  
**Schedule -II "E"**  
**(See rule 6)**  
**Method of recruitment**

S. No	Name of Post	Name of Service	Number of the posts	Number of the posts		Remarks
				By direct recruitment	By Promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Finance Officer (Deputy Director)	Class-I	1	-	-	By deputation from Finance Service
2.	Finance Officer (Assistant Director)	Class-II	1	-	-	By deputation from Finance Service
3.	Nursing Superintendent	Class-II	1		100%	Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 56,100/- Level - 12
4.	Medical Record Officer	Class-II	1	100%		Pay of VII <sup>th</sup> Pay Scale Rs. 56,100/- Level - 12



## Directorate of Medical Education

## Schedule -III

[See rule 8(1)]

## Age and Qualifications of persons to be made direct recruitment

Name of the department	S. No	Name of Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational qualifications	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Medical Education	1.	Assistant Engineer (Civil)	21	As prescribed by the Government	Graduation (B.E. Civil)	-
	2.	Assistant Engineer (Electricals/ Mechanical )	21		Graduation (B.E. Electricals/ Mechanical )	-

**Government Medical College**  
**Schedule -III**  
**[See rule 8(1)]**  
**Age and Qualifications of persons to be made direct recruitment**

Name of the department	S. No	Name of Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Medical Education	1.	Assistant Professor (Anatomy)	21	As prescribed by the Government	Educational qualifications and experience prescribed in Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations by the National Medical Commission	
	2.	Assistant Professor (Physiology)	21	-do-	-do-	
	3.	Assistant Professor (Biochemistry)	21	-do-	-do-	
	4.	Assistant Professor (Pharmacology)	21	-do-	-do-	
	5.	Assistant Professor (Pathology)	21	-do-	-do-	
	6.	Assistant Professor (Forensic Medicine)	21	-do-	-do-	
	7.	Assistant Professor (Microbiology)	21	-do-	-do-	
	8.	Assistant Professor (Community Medicine)	21	-do-	-do-	
	9.	Assistant Professor (General Medicine)	21	-do-	-do-	
	10.	Assistant Professor (Pediatrics)	21	-do-	-do-	
	11.	Assistant Professor (Dermatology)	21	-do-	-do-	
	12.	Assistant Professor (Psychiatry)	21	-do-	-do-	
	13.	Assistant Professor (Respiratory)	21	-do-	-do-	
	14.	Assistant Professor (General Surgery)	21	-do-	-do-	
	15.	Assistant Professor (Orthopedics)	21	-do-	-do-	
	16.	Assistant Professor (Otto Rahno Laryngology)	21	-do-	-do-	
	17.	Assistant Professor (Ophthalmology)	21	-do-	-do-	
	18.	Assistant Professor (Obstetrics and Gynaecology)	21	-do-	-do-	
	19.	Assistant Professor (Anaesthesiology)	21	-do-	-do-	
	20.	Assistant Professor (Radiodiagnosis)	21	-do-	-do-	
	21.	Assistant Professor (Dentistry)	21	-do-	-do-	
	22.	Assistant Professor (Emergency Medicine)	21	-do-	-do-	
	23.	Assistant Professor (Physical Medicine and Rehabilitation)	21	-do-	-do-	

**Government Medical College****Medical Cadre****Schedule -III****[See rule 8(1)]****Age and Qualifications of persons to be made direct recruitment**

Name of the department	S. No	Name of post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Medical Education	1.	Lady Medical Officer	21	As prescribed by the Government	M.B.B.S. and live registration of M.P.M.C.	
	2.	Emergency Medical Officer				
	3.	Blood Transfusion Officer				

**Government Medical College****Non-Medical Cadre****Schedule -III****[See rule 8(1)]****Age and Qualifications of persons to be made direct recruitment**

Name of the department	S. No	Name of Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Medical Education	1.	Medical Record Officer	21	As prescribed by the Government	1. Graduation from any recognized University 2. One year experience in any recognized Medical College/ Institute. Passed training of medical record maintenance	-

**Directorate of Medical Education**  
**Schedule -IV**  
**[See rule 14(1)]**  
**Manner of Promotion, required experience and members of Departmental**  
**Promotion Committee**

Name of the department	S. No	Name of Post from which the promotion is to be made	Name of Post on which promotion is to be made	Required eligibility and experience	Constituted Committee [see rule 14 (1)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Medical Education	1.	Professor	Director, Medical Education	3 years administrative experience	1.M.P.P.S.C. or representative- Chairman
	2.	Professor	Director, Project (Large)	3 years administrative experience	2.Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary Government of Madhya Pradesh, Medical Education -Member
	3.	Associate Professor	Joint Director	3 years Teaching experience	3. Commissioner / Director, Medical Education -Member
		Deputy Director		5 years administrative experience	
	4.	Assistant Professor	Deputy Director	5 years administrative experience	4. Dean, Medical College -Member
	5.	Executive Engineer Civil	Superintendent Engineer	5 years work experience on the post of Executive Engineer	5. member of First Class Cadre belonging to S.C./S.T./ O.B.C nominated by the Government -Member
	6.	Assistant Engineer Civil	Executive Engineer Civil	6 years work experience on the post of Assistant Engineer	6. Deputy Secretary, Medical Education -Member convener
7.	Assistant Engineer Electricals Mechanics	Executive Engineer Electricals Mechanics	6 years work experience on the post of Assistant Engineer		

**Government Medical College**  
**Schedule -IV**  
**[See rule 14(1)]**  
**Manner of Promotion, required experience and members of Departmental**  
**Promotion Committee**

Name of the department	S. No	Name of post from which promotion is to be made	Name of Post on which promotion is to be made	Required eligibility and experience	Constituted Committee [see rule 14 (1)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Medical Education	1.	Professor	Dean	Eligibility obtained as per prevailing criteria of National Medical Commission shall be compulsory	1.M.P.P.S.C. or representative -Chairman Chief 2.Additional Secretary/Principal Secretary of Madhya Pradesh, Medical Education - Member 3.Commissioner Medical Education -Member 4. Director, Medical Education - Member 5. Dean, Medical College -Member 6.Member of First Class Cadre belonging to S.C./S.T./ O.B.C nominated by the Government - Member 7.Joint Director, Gazetted, Establishment, Directorate, Medical Education - Member convener
	2.	Associate Professor	Professor		
	3.	Assistant Professor	Associate Professor		
	4.	Matron/ Assistant matron/ Nurse Superintendent (Class- III)	Nursing Superintendent (Class- II)	5 years experience of working in Hospital	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. दुबे, उपसचिव.